न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 88/2005 (223 आर0टी0एक्ट0)
आरसीएमएस संख्या :– 2005/00008

उनवान

1. मीना कुमारी विधवा सुजय कुमार जाति ब्राहम्ण निवासी पिचूना तहसील रूपवास।
2. अरूण कुमार
3. भरत कुमार
4. अनुपमा कुमारी

} पुत्र/पुत्री सुजय कुमार नाबालिगान द्वारा मॉ मीना कुमारी जाति ब्राहम्ण नि0 पिचूना तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

5. अजय कुमार पुत्र किशनचन्द जाति ब्राहम्ण नि0 पिचूना तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. दया पत्नी ओमप्रकाश जाति ब्राहम्ण निवासी जनकपुरी नई दिल्ली।
2. विद्या पत्नी महेशचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी भरतपुर।
3. शिवकुमारी पत्नी मोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी 65 गांधीनगर शिवपुरी(म0प्र0)
4. प्रेमलता पत्नी महेशचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी भरतपुर।
5. जगरानी पत्नी राधाचरन (मृतक)
   5/1. पुनीत उपाध्याय उम्र 40 वर्ष पुत्र माता श्रीमती जगरानी उपाध्याय जाति ब्राहम्ण निवासी अनाह गेट वजरिया भरतपुर।
6. वीना पत्नी सत्यप्रकाश जाति ब्राहम्ण निवासी झावुआ(म0प्र0)
7. गायत्री देवी पत्नी किशन चन्द (मृतक)
   7/1. अजय कुमार पुत्र किशनचन्द
   7/2. मीना कुमारी विधवा सुजयकुमार
   7/3. अरूण कुमार } पुत्र सुजयकुमार
   7/4. भरतकुमार
   7/5. अनुपमा कुमारी पुत्री सुजय कुमार

   } जाति ब्राहम्ण नि0 पिचूना तह0 रूपवास, भरतपुर।

..... रैस्पोडेण्ट

अपील संख्या :– 87/2005 (223 आर0टी0एक्ट0)
आरसीएमएस संख्या :– 2005/00007

उनवान

1. अजय कुमार पुत्र किशनचन्द
2. मीनाकुमारी विधवा सुजय कुमार
3. अरूण कुमार } पुत्र सुजय कुमार
4. भरत कुमार
5. अनुपमा कुमारी पुत्री सुजय कुमार

} जाति ब्राहम्ण नि0 पिचूना तह0 रूपवास, भरतपुर।

6. गायत्री देवी पुत्री छीतरमल पत्नी किशनचन्द (मृतक)
   6/1. अजय कुमार पुत्र किशनचन्द
   6/2. मीना कुमारी विधवा सुजयकुमार
   6/3. अरूण कुमार } पुत्र सुजयकुमार
   6/4. भरतकुमार
   6/5. अनुपमा कुमारी पुत्री सुजय कुमार

   } जाति ब्राहम्ण नि0 पिचूना तह0 रूपवास, भरतपुर।

.....अपीलाण्ट

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

बनाम

1. प्रेमलता पुत्री छीतरमल पत्नी महेशचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी पिचूना तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
2. श्रीमती दयावती पुत्री छीतरमल पत्नी प्रकाश जाति ब्राहम्ण निवासी 127 ए जनकपुरी नई दिल्ली।
3. श्रीमती जगरानी पुत्री छीतरमल पत्नी राधाचरन (मृतक)
   3/1. पुनीत उपाध्याय पुत्र माता जगरानी उपाध्याय जाति ब्राहम्ण निवासी अनाह गेट भरतपुर।
4. शिवरानी पुत्री छीतरमल पत्नी मोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी गांधीनगर शिवपुरी (म0प्र0)
5. वीनादेवी पुत्री छीतरमल पत्नी सत्यप्रकाश जाति ब्राहम्ण निवासी झावुआ (म0प्र0)
6. श्रीमती विद्या देवी पुत्री छीतरमल पत्नी महेशचन्द शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी कृष्णा कालौनी मकान नं 70 भरतपुर।
7. सतीशचन्द } पुत्र प्रभूदयाल
8. अनिल कुमार }
9. सुमित्रा पत्नी प्रभूदयाल (मृतक)
   9/1. महेन्द्र कुमार
   9/2. सतीश कुमार } पुत्र स्व0 प्रभूदयाल
   9/3. अनिल कुमार
10. महेन्द्र प्रताप
11. नन्दकिशोर

(7 से 11 तक) जाति वागरी ब्रा0 नि0 पिचूना तह0 रूपवास जिला भरतपुर।

12. पदमशंकर पुत्र तोताराम जाति वागरी ब्राहम्ण निवासी राजस्व बैंक के सामने नई मण्डी भरतपुर।
13. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र तोताराम जाति वागरी ब्राहम्ण निवासी पिचूना तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
14. संतोष शर्मा पुत्री तोताराम पत्नी निरंजन जाति वागरी ब्राहम्ण निवासी मकान नं0 29/213 मंशा देवी गली राजा मण्डी आगरा।
15. मिथलेश पुत्री तोताराम पत्नी रोशनकिशोर जाति वागरी ब्राहम्ण निवासी म0 न0 913 लेवर कालौनी हाथरस(उ0प्र0)
16. मंजू पुत्री तोताराम पत्नी किशोर जाति ब्राहम्ण निवासी वुद्ध की हाट भरतपुर।
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रूपवास जिला भरतपुर।

........................रैस्पो0

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 14.10.2005 प्रकरण संख्या क्रमशः 251/86, 4/98 शीर्षक सुजयकुमार वनाम दया आदि व 255/86, 5/98 शीर्षक प्रेमलता वनाम अजयकुमार आदि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास।

अभिभाषकगण :–

1. श्री महाराज सिंह अभिभाषक अपीलाण्ट उपस्थित।
2. श्री दुलीचन्द शर्मा अभिभाषक रैस्पो0 उपस्थित ।

निर्णय

दिनांक :–28.03.2022

1. यह दोनों अपील इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी रूपवास के निर्णय दिनांक 14.10.05 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण में विवादित आराजी एवं पक्षकार समान होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों दावो को कंसोलिडेट किया जाकर एक ही निर्णय से

भू प्रवन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

किया जाता है व डिकरी दी जाती है कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं वादी/अपीलांट को वसीयत दिनांक 31.01.1985 अनुसार स्व0 छीतरमल के हिस्से की आराजी तक काश्तकार घोषित किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के निर्णय व डिक्री दिनांक 14.10.2005 इस हद

निस्तारण किया गया है। अतः हम दोनों अपीलो का निस्तारण भी एक ही निर्णय से किया जाना उचित समझते हैं। निर्णय की एक–एक प्रति दोनों पत्रावलियों में शामिल की जावें।

2. अपील संख्या 88/05 के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट सुजय कुमार वगै0 की ओर से एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 दया वगै0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम पिचूना तहसील रूपवास में 19/21 हिस्से के तथा खाता संख्या 100 में दर्ज विवादित आराजी वाके ग्राम पिचूना में 13/14 हिस्से के वादीगण/अपीलांट वहिस्सा बराबर व हैसियत खातेदार काश्तकार काफी अरसे से काश्त करते चले आ रहे हैं तथा लगान राज्य सरकार को अदा कर रहे हैं। परन्तु प्रतिवादिनीगण पढी लिखी एवं चतुर है जिन्होनें राजस्व कर्मचारियो से साज कर अपने पिता के जीवनकाल में वादीगण/अपीलाण्ट की लाइल्मी में खाता संख्या 101 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर में अपने नाम 4/7 हिस्से में तथा खाता संख्या 100 में दर्ज आराजी में 3/7 हिस्से में अपने नाम खातेदारी का इन्द्राज करा लिया है। उक्त गलत इन्द्राजो के आधार पर प्रतिवादी/रैस्पो0 विवादित आराजी से वादी/अपीलाण्ट को बेदखल करना चाहते हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर उक्तानुसार डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

3. अपील संख्या 87/05 के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/रैस्पो0 प्रेमलता वगै0 ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलांट अजय कुमार वगै0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी में छीतरमल मुताबिक जमाबन्दी खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी थे। उन्होनें अपने जीवनकाल में ही हम सभी बहनो के नाम वाद पत्र में अंकित खसरा नम्बर में से कुल किता 57 रकवा 189 बीघा 11 विस्वा वाके ग्राम पिचूना तहसील रूपवास के 2/3 भाग का काश्तकार बना दिया था। इसके अलावा वाद पत्र में अंकित खसरा नम्बर कुल किता 5 कुल रकवा 13 बीघा 3 विस्वा वाके ग्राम पिचूना तहसील में भी हम सातो बहनो को 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार बना दिया था तथा इसी प्रकार पटवार कागजातो में हम सातो बहनो के नाम दर्ज हो गयी। तत्पश्चात् श्री छीतरमल की मृत्यु दिनांक 14.05.1985 को हो गयी उनकी मृत्यु के पश्चात् हम सातो बहनो एवं मॉ उनकी छोडी हुयी आराजी की एक मात्र वारिस हैं। प्रतिवादी/रैस्पो0 संख्या 01 व 02 सबसे बडी बहन गायत्री देवी के लडके हैं। उन्होनें स्व0 श्री छीतरमल की बीमारी का लाभ उठाकर एक फर्जी वसीयतनामा दिनाक 31.01.1985 को अपने नाम तस्दीक करवाकर उक्त वसीयतनामा के आधार पर दिनांक 22.06.1985 को श्री छीतरमल के स्थान पर अपने नाम जरिये दाखिला खारिज संख्या 1004 से राजस्व अभिलेख में करवा लिये। उक्त गलत इन्द्राजो के आधार पर प्रतिवादी/अपीलाण्ट विवादित आराजी से वादी/रैस्पो0 को बेदखल करने पर आमदा हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर उक्तानुसार डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

4. अपीले प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों को तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

5. अपीलाण्ट मीना कुमारी एवं अजय कुमार के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये, बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। विवादित आराजी स्व0 छीतरमल की सेवा सुश्रुषा करने पर अपीलाण्ट अजयकुमार व सुजय कुमार व उनकी माँ गायत्री देवी को स्व0 छीतरमल द्वारा करायी गयी पंजीकृत वसीयत दिनांक 31.01.1985 से प्राप्त हुयी है। रैस्पो0 का विवादित आराजी के किसी भाग से कोई संबंध नहीं है एवं ना ही उनका कब्जा काश्त है। वसीयत के आधार पर नामान्तरण संख्या 1004 की अपील भी राजस्व मण्डल में विचाराधीन है। लिहाजा वसीयत आज भी प्रभावी मानी जावेगी। उक्त वसीयत को भी अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपनी साक्ष्य से प्रमाणित कराया है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयत को ना मानने में भूल की है। स्व0 छीतरमल के जीवनकाल में उसकी पुत्रियों को विवादित आराजी पर कोई अधिकार खातेदारी प्राप्त नहीं होते हैं जो नामान्तकरण संख्या 413 व 587 रैस्पो0 के हक में बताये हैं वह कतई शून्य एवं निष्प्रभावी हैं। नामान्तकरण स्वत्व का प्रलेख नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने शून्य एवं अवैध उक्त नानान्तकरण पर भरोसा कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय का यह मानना कि वसीयतनामा दिनांक 31.01.1985 में वसीयतकर्ता ने यह स्वीकार किया है कि उसने सातो लडकियों के नाम अलग–अलग खेत करा दिया है के आधार पर विवादित आराजी पर रैस्पो0 को अधिकार खातेदारी प्राप्त हो जाते हैं। कतई गलत है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से दावा भली भांति प्रमाणित होता है। वसीयतनामा दिनांक 31.01.1985 को साक्ष्य से अपीलाण्ट ने प्रमाणित कराया है। विवादित आराजी स्व0 छीतरमल की स्वयं पैदा कर्दा आराजी थी जो छीतरमल ने गणेशी के साथ मिलकर नीलामी में खरीदी थी। अतः उन्हें विवादित आराजी की वसीयत करने का पूर्ण अधिकार था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य की ओर ध्यान ना देते हुये, अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। वसीयत को विरासत में प्राथमिकता दी जाती है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार वसीयतधारी के हक में विरासत का नामान्तकरण स्वीकृत किया जाना चाहिये था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना आधार बताये वसीयत को नकारते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अन्त में अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

6. रैस्पो0 दया एवं प्रेमलता के अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप सही है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की पूर्ण विवेचना की जाकर निर्णय पारित किया है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। छीतरमल ने दिनांक 31.01.1985 को वसीयत की। उक्त वसीयत पूरी जमीन की नहीं करायी है। वसीयत में स्पष्ट लिखा है कि सातो लडकियों को अलग–अलग जमीन दे दी है। इस प्रकार शेष बची हुयी जमीन की ही वसीयत मानी जावेगी, पूरी आराजी की नहीं। रैस्पो0 ने नामान्तकरण संख्या 1004 को चैलेन्ज किया है। पंचायत के आदेश को उपखण्ड अधिकारी ने निरस्त किया। अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन है। नामान्तकरण संख्या 413, 587 पर

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

बोलने का अपीलाण्ट को कोई अधिकार नहीं है। वसीयत अधीनस्थ न्यायालय में साबित नहीं करायी। इसलिये अधीनस्थ न्यायलय ने सातो लडकियों के नाम डिक्री कर दी, जो सही है। नामान्तकरण संख्या 1004 वसीयत के आधार पर खोला गया है जबकि छीतरमल की पत्नि जीवित थी एवं वसीयतकर्ता के जीवित रहते वसीयत का नामान्तकरण नहीं खोला जा सकता है। वसीयतकर्ता की मृत्यु हो जाने के पश्चात् ही वसीयत प्रभावी होती है। अधीनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण तथ्यो की जॉच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो तनकीवार तार्किक है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट दोनों पक्षो द्वारा वसीयत दिनांक 31.01.1985 के आधार पर छीतरमल की समस्त आराजी पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा का दावा किया है। हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध मूल वसीयत का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। वसीयत दिनांक 31.01.1985 को छीतरमल एवं उनकी पत्नी भगवती देवी द्वारा अजय कुमार व सुजय कुमार को की गयी है, जो रजिस्टर्ड है। वसीयत में छीतरमल एवं भगवती देवी ने अंकित किया है कि हमारी सात लडकियॉ हैं, सातो की शादियॉ हो चुकी हैं एवं कोई लडका नहीं है। पहले नम्बर की लडकी गायत्री देवी अरसा करीबन 30–35 साल से हमारे पास रह रही है एवं इसके दो लडके अजय कुमार एवं सुजय कुमार को हमने बचपन से ही अपने पास बुलाकर रख लिया एंव ये ही हमारे सेवा चाकरी कर रहे हैं एवं हमें विश्वास है कि आगे भी करते रहेंगें। हमारे मरणोपरान्त हमारा दाह संस्कार भी यही करेंगें। हमारी सातो लडकियों को हमने अलग–अलग खेत पटवार कागजात में करा दिया है। मेरी खातेदारी की आराजी एवं ग्राम पिचूना तीन मकान पुख्ता, मकान पुख्ता एक अलग से, नौहरा दो, गैत एक ग्राम पिचूना आदि की वसीयत अजय कुमार एवं सुजय कुमार को कर रहे हैं। छीतरमल ने एक वसीयत कार्यालय सबरजिस्ट्रार रूपवास में अपनी पत्नी श्रीमती भगवती देवी के नाम दिनांक 24.01.81 को तस्दीक करायी थी वह निरस्त समझी जावें। वसीयत के अध्ययन के पश्चात् हम पाते हैं कि छीतरमल द्वारा केवल अपनी खातेदारी की आराजी एवं मकान वगै0 की ही वसीयत वादी/अपीलाण्ट दोनों पक्षो को की गयी थी। अतः वादी/अपीलाण्ट को उक्त वसीयत के आधार पर छीतरमल की सम्पूर्ण आराजी पर दावे करने के कोई अधिकार हासिल नहीं थे। वह वसीयत के आधार पर मात्र छीतरमल के हिस्से की आराजी तक ही अधिकार रखते हैं, ना कि सम्पूर्ण आराजी पर। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दावे में वसीयत दिनांक 31.01.1985 पर विश्वास ना करते हुये। स्व0 छीतरमल के हिस्से की आराजी को भी सातो बहनो में विभाजित कर दिया है, जो हमारी दृष्टि में उचित नहीं है। क्योंकि उक्त वसीयत एक रजिस्टर्ड वसीयत हैं एवं आदिनांक तक किसी भी सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं हुयी है। लिहाजा आज भी प्रभावी मानी जावेगी। दौराने बहस रैस्पो0 ने भी वसीयत के संबंध में यही तर्क प्रस्तुत किये कि वसीयत में स्पष्ट लिखा है कि सातो लडकियों को अलग–अलग जमीन दे दी है। इस प्रकार शेष बची हुयी जमीन की ही वसीयत मानी जावेगी, पूरी आराजी की नहीं। उक्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख जमाबन्दी संवत 2039–42 प्रदर्श 4 व 5, जमाबन्दी संवत 2056–59 प्रदर्श–6 के अवलोकन से भी प्रमाणित है। उक्त जमाबन्दियों में विवादित आराजी में छीतरमल के साथ उनकी सातो पुत्रीयॉ के नाम दर्ज अभिलेख हैं, जो नामान्तकरण संख्या 413, 587 से आये हैं। उक्त नामान्तकरण

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

को भी किसी प्रकार गलत नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि उक्त नामान्तकरण छीतरमल के जीवनकाल में ही खोले गये हैं एवं वसीयत दिनांक 31.01.1985 में भी छीतरमल ने सातो पुत्रियों को जमीन देना अंकित किया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को दावा वादी/अपीलाण्ट खारिज ना करते हुये, वसीयत के आधार पर छीतरमल की हिस्से की आराजी तक दावा वादी/अपीलाण्ट आंशिक डिक्री करना चाहिये था। जहाँ तक वादी/अपीलाण्ट के पक्ष में नामान्तकरण स्व0 छीतरमल की पत्नी भगवती देवी के जीवनकाल में खुलने का प्रश्न है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य अथवा मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है। जिससे साबित होता हो कि कथित नामान्तकरण वसीयतकर्ता भगवती देवी के जीवनकाल में खोला गया हो। वैसे भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में भगवती देवी की मृत्यु होना अंकित किया है। अतः इस तथ्य बाबत् अब कोई विवाद नहीं रह जाता है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

8. अतः आदेश है कि अपील अपीलण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर, वादी/अपीलाण्ट दोंनों को वसीयत दिनांक 31.01.1985 अनुसार स्व0 छीतरमल के हिस्से की आराजी तक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के निर्णय व डिक्री दिनांक 14.10.2005 इस हद तक अपास्त किये जाते हैं, शेष आदेश यथावत रहेंगें। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

9. निर्णय आज दिनांक 28.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28-03-2022

(अखिलेश कुमार पिपल)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर